न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 51 / 2020 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती मंजु जैन पुत्री श्री एम.एल. जैन, C/o श्री निर्मल बापना, निवासी 33, कृष्णा कॉम्पलेक्स कॉलोनी, पुंला, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती प्रभा कंवर पत्नी युवराज सिंह सोलंकी, निवासी 34 ए–बी, श्रीराम नगर, सेक्टर नंबर 14, हिरण मगरी, उदयपुर (राज.)
2. नरेन्द्र कुमार पिता स्व. श्री चुन्नीलाल पोरवाल, निवासी 3–बी, हजारेश्वर कॉलोनी, उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती सीता देवी पुत्री स्व. श्री गोपीलाल जैन पत्नी बसन्त कुमार पोरवाल, निवासी 3–बी, हजारेश्वर कॉलोनी, उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती मंजुला पत्नी श्री शरद जैन, निवासी अमर कॉलोनी, राजपथ नगर, नई दिल्ली
5. दिनेश जैन पिता श्री एम.एल. जैन, निवासी जे.बी. नगर, अंधेरी (पूर्व) मुम्बई
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त.अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा दिनांक
12.02.2020 प्रकरण संख्या 46 / 2018

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री नरेन्द्र सोनी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभि.रे.सं. 1
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 10–10–2023**

अपील के संक्षेप में संथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 33, 188 राजस्थान काश्तकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:19 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मौजा नेला, तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 1292, 1296, 1290, 1291 कुल किता 4 रकबा 0.5300 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादिया का 0.2250 हैक्टर हिस्सा जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 अनुसार निहित होकर वादिया का कब्जा है। मौके पर सहखातेदारों के मध्य मौखिक बंटवारा होकर इसी अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं, किन्तु मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है, जिससे प्रतिवादीगण दखलन्दाजी करें हैं। अतः उपरोक्तानुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12–02–2020 से वादिया का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, न ही विधिक तौर पर अपीलान्ट की तामिल करायी गयी है तथा जल्दबाजी में अखबार में प्रकाशन कर दिये, जबकि अखबार में प्रकाशन तभी कराया जाता है जब प्राथमिक तरीके से तामिल नहीं हो पाये। प्रकरण में अपीलान्ट का पता ही गलत अंकित किया गया है और गलत पते पर ही सीधे अखबार में प्रकाशन करवा अपीलान्ट की तामिल मान ली गयी है, जिससे अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं हुआ है। विवादित आराजी नंबर 1292 व 1294 में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 मंजुला का कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का मौके पर एक ईंच जमीन पर भी कब्जा नहीं है, लेकिन राजस्व रेकार्ड में गलत अंकन का फायदा उठाकर वादिया ने वाद डिक्री करवा लिया, जबकि कब्जे के अभाव में बंटवारे का दावा पोषणीय ही नहीं है, लकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इसकी अनदेखी करते हुए अपीलान्ट को बिना सुने एकपक्षीय निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट के पक्ष में कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:19 IST
Reason: SelfAttested

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड के आधार पर निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में विवादित आराजी नंबर 1290 व 1291 कुल किता 2 रकबा 0.3000 में वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का 11/30 हिस्सा तथा आराजी नंबर 1992 व 1996 कुल किता 2 रकबा 0.2300 हैक्टर में 1/2 हिस्सा दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय वादिया राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजियात की सहखातेदार होने से उसका वाद स्वीकार कर बंटवारे की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12–02–2020 यथावत रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 10–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:19 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ..........मुकाम...............उदयपुर.............
व इजलास ....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

श्रीमती मंजु जैन पुत्री श्री एम. एल. जैन, C/o श्री निर्मल बापना, निवासी 33, कृष्णा कॉम्पलेक्स कॉलोनी, पुला, उदयपुर

<u>बनाम</u>

श्रीमती प्रभा कंवर पत्नी श्री युवराजसिंह सोलंकी, निवासी 34–ए–बी, श्रीराम नगर सेक्टर 14, हिरणमगरी, उदयपुर व अन्य

अपील नं......51/2020........व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी ....गिर्वा .... मुकाम................मुवर्खे..........12.............माह...............02..................2020.........................

दावा बाबत

यह अपील व तारीख..........10..........माह.............10.......सन् 2023 रूबरू............पक्षकारान व हाजरी..............श्री नरेन्द्र सोनी .... मिनजानिब अपीलान्ट व...............श्री नरपतसिंह चुण्डावत

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12–02–2020 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग..........X.........)..........रूपये .... X.......... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख............10.............माह............10..............2023 को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:19 IST
Reason: SelfAttested